अध्याय १७

जन्म–मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

४५४–जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन (registration)– मुख्य नगराधिकारी जन्म तथा मृत्यु का एक रजिस्टर रखवायेगा, जिसमें नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु को विहित रीति से दर्ज किया जायगा।

४५५–नियम बनाने का अधिकार– राज्य सरकार निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है :–

(क) नगर में होने वाले जन्म और मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(ख) जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण ;

(ग) जन्म तथा मृत्यु के बारे में सूचना संग्रह करने के लिये निगम के पदाधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार ;

(घ) नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु के सम्बन्ध में यथास्थिति नवजात अथवा मृत व्यक्ति के माता–पिता अथवा अन्य किसी सम्बन्धी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का, निगम के पदाधिकारियों और सेवकों को सूचना देना तथा जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों में गलतियां ठीक किया जाना ;

(ङ) बच्चे के नाम का अथवा नामों में परिवर्तन का पंजीयन (तमहपेजतंजपवद) ;

(च) अन्य ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से आवश्यक हों।

———————————